

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-358/2024 दिनांक 23.12.2024)
***दिनांक-23.12.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

जुआ खेल रहे 04 अभियुक्त गिरफ्तार, मौके से ताश के 52 पते व कुल 2620/- रुपये नकद (मालफड़ 200/- रुपये व जामा तलासी से 2420/- रुपये) बरामद-

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22.12.2024 को थाना रविन्द्रनगर धूस पुलिस टीम द्वारा जुआ खेल रहे 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से ताश के 52 पते व कुल 2620/- रुपये नकद (मालफड़ 200/- रुपये व जामा तलासी से 2420/- रुपये) बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 204/2024 धारा13 सार्वजनिक जुआ अधि0 थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-मुन्सरीम पुत्र हनीफ अंसारी निवासी सोहनरिया थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

2-नगेन्द्र चौहान पुत्र रामबचन चौहान निवासी सोहनरिया थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

3-मंसूरी अली पुत्र निजामुद्दीन अंसारी निवासी सोहनरीया थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

4-अफरोज अंसारी पुत्र अली हसन निवासी सोहनरिया थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

बरामदगी विवरण-

1-ताश के 52 पते

2-कुल 2620/- रुपये नकद (मालफड़ 200/- रुपये व जामा तलासी से 2420/- रुपये)

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-



- 1-थानाध्यक्ष श्री विनय कुमार मिश्र थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 श्री सौरभ द्विवेदी थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
- 3-उ0नि0 अनुराग यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
- 4-का0 विशाल सिंह थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
- 5-का0 प्रमोद यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.12.2024 को थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा मु0नं0 12855/2022 , मु0अ0सं0 19/1999 धारा 458,120बी भादवि थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त मु0 इफ्तखार पुत्र भोला अंसारी निवासी बसवरिया थाना बेतिया जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0नं0 12855/2022 , मु0अ0सं0 19/1999 धारा 458,120बी भादवि थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

मु0 इफ्तखार पुत्र भोला अंसारी निवासी बसवरिया थाना बेतिया जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार राय थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर ।
- 2-उ0नि0 निरंजन साहू थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर ।
- 3-का0 विपिन यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचे के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 22.12.2024 को थाना तुर्कपट्टी क्षेत्र से एक अभियुक्त अलाउद्दीन उर्फ रायफल पुत्र नूर आलम निवासी गड़हिया थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर को

गिरफ्तार उसके पास से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर की बरामदगी की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत/आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 405/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

मु0अ0सं0 41/22 धारा 3(1) गैगेस्ट एक्ट थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

मु0अ0सं0 44/20 धारा 419/420/467/468/471/41/411 भादवि थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

मु0अ0सं0 272/20 धारा 413 भादवि थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

मु0अ0सं0 273/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

मु0अ0सं0 519/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

अलाउद्दीन उर्फ रायफल पुत्र नूर आलम निवासी गड़हिया थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

विवरण बरामदगी-

1-एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर

2-03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1-प्र0नि0 संजय कुमार थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

2-उ0नि0 जितेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी मधुरिया थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

3-का0 सुनील राजभर थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

4-का0 सत्य प्रकाश यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

थाना रविन्द्रनगर धूस पुलिस द्वारा छेड़खानी, पाक्सो एक्ट आदि के मुकदमे में एक वांछित व अन्य दो वारण्टी सहित 03 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.12.2024 को थाना

रविन्द्रनगर धूस पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-198/2024 धारा 115(2),351(2),76 बी0एन0एस0 व 7/8 पाक्सो एक्ट में वांछित मुकेश यादव उर्फ मिक्की पुत्र चन्द्रशेखर यादव साकिन सिधुवा बांगर भाठ लक्ष्मी टोला थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर व मु0नं0-13385/2022 धारा-323,504,506 भादवि0 से संबंधित दो वारण्टी 1. राजेन्द्र पुत्र रामजी, 2. गिल्टु उर्फ हरीशंकर पुत्र रामजी निवासीगण गनेशी पट्टी थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0सं0-198/2024 धारा 115(2),351(2),76 बी0एन0एस0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
- 2- मु0नं0-13385/2022 धारा-323,504,506 भादवि0 थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1- मुकेश यादव उर्फ मिक्की पुत्र चन्द्रशेखर यादव साकिन सिधुवा बांगर भाठ लक्ष्मी टोला थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर (वांछित)
- 2- राजेन्द्र पुत्र रामजी निवासी गनेशी पट्टी थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर (वारण्टी)
- 3- गिल्टु उर्फ हरीशंकर पुत्र रामजी निवासी गनेशी पट्टी थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर (वारण्टी)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री विनय कुमार मिश्र थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री सौरभ द्विवेदी थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 श्री राहुल कुमार राय थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
4. का0 मोहित खरवार थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
5. का0 प्रमोद यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
6. का0 लाल साहब मौर्या थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
7. का0 विरेन्द्र कुमार मौर्या थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
8. का0 मदन लाला यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

हत्या के प्रयास आदि के मुकदमे से संबंधित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचे के साथ किया गया गिरफ्तार-



Edit with WPS Office

दिनांक 22.12.2024 को थाना चौराखास क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त शैलेश

द्वारा अपने भाभी के बहन को अवैध असलहे से फायर कर घायल कर दिया गया था। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर घायल पीड़िता को ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। पीड़िता के मां के तहरीर पर थाना चौराखास पर मु0अ0सं0 241/2024 धारा 109 BNS में अभियोग पंजीकृत करते हुए आज दिनांक 23.12.2024 को थाना चौराखास पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त शैलेश पुत्र सुबाष निवासी कोईलसवा थाना चौराखास जनपद कुशीनगर को घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध तमंचा 0.315 बोर, एक अदद 0.315 बोर जिन्दा कारतूस, एक अदद 0.315 बोर फायर सुदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 241/2024 धारा 109 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

शैलेश पुत्र सुबाष निवासी कोईलसवा थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

- 1- एक अदद अवैध तमंचा 0.315 बोर
- 2- एक अदद 0.315 बोर जिन्दा कारतूस
- 3- एक अदद 0.315 बोर फायर सुदा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली टीम-

01. प्र0नि0 श्री विद्याधर कुशवाहा थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
02. उ0नि0 देवीलाल यादव थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
03. का0 विकाश प्रजापति थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
04. का0 मुन्द्रिका प्रसाद थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
05. का0 चन्द्रमा मौर्या थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मामले में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.12.2024 को थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0386/24 धारा 318(2)/303(2) बीएनएस से संबंधित एक

अभियुक्त अभिषेक प्रसाद पुत्र संजय प्रसाद साकिन कटैलवा थाना बरहज जनपद देवरिया को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी है। गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.12.24 को पटहेरिया चौराहे पर स्थित एचडीएफसी बैंक एटीएम से रवि गुप्ता पुत्र केदारनाथ गुप्ता निवासी बगही कुटी थाना पटहेरवा कुशीनगर पैसा निकालने के लिए पहुँचे तो एटीएम में पूर्व से मौजूद एक व्यक्ति द्वारा स्वाइप प्वाइंट में फेवीकीक लगाया गया था जिससे आवेदक का एटीएम मशीन में फस गया और उस व्यक्ति ने एटीएम के पीछे पर्ची पर एक नम्बर को बताया कि यह बैंक का नम्बर है इससे सम्पर्क करिये आपका काम हो जायेगा। जैसे ही आवेदक मोबाइल नम्बर पर फोन करने के लिए बाहर निकला और दिये गये नम्बर पर फोन किया तो उक्त नम्बर से एक अन्य व्यक्ति द्वारा बताया गया कि आप घर चले जाइये टेक्निशियन आयेगा तो एटीएम निकालकर आपको सूचित किया जायेगा। जिस पर आवेदक चला गया किन्तु पीछे खड़े व्यक्ति द्वारा एटीएम निकाल कर दूसरे जगह जगह से आवेदक के एटीएम से 25000/- रूपया निकाल लिया गया। पुलिस द्वारा घटना का संज्ञान लेकर आवेदक के तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0386/24 धारा 318(2)/303(2) बीएनएस थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभिषेक प्रसाद पुत्र संजय प्रसाद साकिन कटैलवा थाना बरहज जनपद देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-एसओ दीपक कुमार सिंह थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
- 2-उ0नि0 सच्चिदानन्द सिंह यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
- 3-हे0का0 शोभनाथ प्रसाद थाना पटहेरवा कुशीनगर
- 4-का0 गुलशन कुमार थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।

अलग-अलग स्थानों पर जुआ खेल रहे 10 व्यक्ति गिरफ्तार, मौके से 02 गड्डी ताश के पत्ते, 5,230/- रुपये नकद व एक मोटरसाइकिल बरामद-

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.12.2024 को थाना को0 हाटा पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों पर जुआ खेल रहे 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मौके से 02 गड़ी ताश के पत्ते, 5,230/- रुपये नकद व एक मोटरसाइकिल बरामद कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 949/2024 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधि0
3. मु0अ0सं0 950/2024 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधि0

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1-विवेक यादव पुत्र आशोक यादव सा0 सेनरेले कन्यापुर आसनसोल वर्धमान पश्चिम बंगाल हालमुकाम पगरा थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 2-बैजनाथ चौहान पुत्र स्व0 चरितर साकिन पगरा थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 3-रामवृक्ष पुत्र रामभरोसा सिंह साकिन पगरा थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 4-सुधीर चौहान पुत्र तपेसर चौहान साकिन पगरा थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 5-सुनील सिंह पुत्र रमायण सिंह साकिन बतरौली थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 6-राजेश सिंह पुत्र शारदा सिंह साकिन बतरौली थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 7-शैलेन्द्र सिंह पुत्र अक्षयवर सिंह साकिन पिपरही भड़कुलवा थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 8-दिवाकर श्रीवास्तव पुत्र रघुनाथ साकिन पिपरही भड़कुलवा थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 9-जितेन्द्र सिंह पुत्र रामसूरत सिंह साकिन पिपरही भड़कुलवा थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 10-गजेश्वर गौड़ पुत्र रामसेवक साकिन पिपरही भड़कुलवा थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

बरादमगी का विवरण-

- 1- दो गड़ी ताश के पत्ते
- 2- 5230 रुपये नगद
- 3- एक मोटरसाइकिल



गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-उ०नि० इकराम खान थाना को० हाटा जनपद कुशीनगर
- 2-उ०नि० ओमप्रकाश गुप्ता थाना को० हाटा जनपद कुशीनगर
- 3-हे०का० पंकज सिंह थाना को० हाटा जनपद कुशीनगर
- 4-हे०का० धीरेन्द्र सिंह थाना को० हाटा जनपद कुशीनगर
- 5-का० उमाशंकर थाना को० हाटा जनपद कुशीनगर
- 6-का० अंगद यादव थाना को० हाटा जनपद कुशीनगर
- 7-का० मनीष सिंह यादव थाना को० हाटा जनपद कुशीनगर
- 8-का० अर्जुन चौहान थाना को० हाटा जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 48 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-109 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु०-54, व्यक्ति-162
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(21)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-69)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

